1991-92—फरवरी, 1992 में बम्बई में सातवीं वैज्ञानिक संगोष्ठी ।

1992-93—मई, 1992 में कलकत्ता में तथा जून, 1992 में बंगलौर में कार्यशालाएं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. एक यूनानी भेषजसंहिता समिति गठित की गई है । इसमें यूनानी तिब्ब, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भेषजगुण-विज्ञान, भेषज विज्ञान क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं । यह समिति सरकारी भेषज कोशों/भेषज संहिताओं को तैयार करने के कार्य में लगी हुई है ताकि यूनानी औषधों के निर्माण के समान मानक रखे जा सकें और मिश्रित योगों के मानक निर्धारित किए जा सकें जिनमें इन औषधों की शुद्धता और गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए परीक्षण भी शामिल हैं ।

2. नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और औषधीय पादपों के सर्वेक्षण और उनकी खेती के अतिरिक्त आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर परिवार कल्याण अनुसंधान कार्यक्रमों को चलाने के लिए केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् स्थापित की गई है । परिषद् की देश के विभिन्न भागों में 30 संस्थाएं/इकाइयां हैं ।

3. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में शिक्षा का समान स्तर निर्धारित करने, उसे बनाए रखने और इन क्षेत्रों में चिकित्सकों के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का गठन किया गया है ।

4. देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति के 22 मान्यता प्राप्त स्नातकपूर्व कालेज तथा 4 स्नातकोत्तर कालेज हैं जो कि इस पद्धति में शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं । इन कालेजों में प्रतिवर्ष यूनानी चिकित्सा पद्धति के 70 से अधिक स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर डाक्टर तैयार होते हैं ।

5. यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के लिए बंगलौर में राष्ट्रीय स्तर का एक यूनानी चिकित्सा संस्थान खोला गया है ।

दृष्टिहीनता का उपचार और रोकथाम

2429. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 में देश में पूर्णतः दृष्टिहीन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) दृष्टिहीनता के उपचार और इसकी रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) देश में वर्ष 1991 के दौरान 15.8 लाख व्यक्तियों के पूरी तरह दृष्टिहीन होने का अनुमान लगाया गया था (डब्ल्यू० एच० ओ०—एन० पी० सी० बी० सर्वेक्षण 1986—89) । इनमें से 80.1 प्रतिशत जराजन्म मोतियाबिन्द के कारण तथा शेष रेफ्रेक्ट्री दोषों, ग्लूकोमा, कार्नियल ओपैसिटी और ट्रकोमा के कारण दृष्टिहीन ह ।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में नेत्र विज्ञान सेवाओं की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नेत्र शिविर आयोजित करने के लिए जिला स्तर पर मोबाइल यूनिटें प्रदान की जाती हैं।

दृष्टिहीनता के निवारक उपायों के रूप में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विटामिन "ए" का घोल, स्कूल नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है।

C.G.H.S. dispensaries without Telephone Facility

2430. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of C.G.H.S. dispensaries in Delhi which have not been provided with telephone facility;

(b) whether it is a fact that a number of C.G.H.S. dispensaries in Trans-Yamuna area in Delhi are working without telephone facility since their establishment causing great inconvenience to C.G.H.S. beneficiaries as well as the managements of the dispensaries;

(c) if so, what are the details thereof;

(d) what steps Government have taken or proposed to take to provide telephone facility to these dispensaries; and

(e) by when telephone connections are likely to be provided to these dispensaries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) to (c) Only one C.G.H.S. dispensary at Yamuna Vihar has not been provided with telephone facility.

(d) and (e) The payment for installation of telephone has already been made to Mahanagar Telephone Nigam Limited and they have been requested for early installation.

चिकित्सा पद्धति के अधीन इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो–होम्योपैथी की मान्यता

2431. श्रीमती सरला माहेश्वरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यत प्राप्ता चिकित्सा पद्धति हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिग्री, डिप्लोमा देने के लिए कुछ संस्थाओं को अधिकृत किया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है और उनमें अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो अनधिकृत रूप से इस प्रकार की डिग्री-डिप्लोमा दे रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां नहीं हैं। सरकार द्वारा किसी भी संस्था को इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने तथा किसी संस्था को डिग्री/डिप्लोमा आदि प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करने का मामला न्यायाधीन है।

(ग) चूंकि इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इनकी